

संख्या में

श्रीमान उपखाण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़ (राज)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एकट 1958 की धारा 136

अनवान श्री शमलाल पिता/पति श्री सिधान्त कुमावत
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहशीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शमलाल पिता/पति
सिधान्त कुमावत निवासी आवंपट्टी का/की हु/है।

मेरे/हमारे पटवार हल्का आवंपट्टी के राजस्व ग्राम आवंपट्टी में खाता संख्या 253
किता 54 रकबा 1.91 हे भूमि दज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल कुमावत है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में शमलाल पुत्र सिधान्त बनाना चाहती हू/चाहता हू।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम शमलाल पुत्र सिधान्त के बजाय शमलाल पुत्र सिधान्त बनाने की कृपा
करावे।

दिनांक / /2025



हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का आवंपट्टी

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शमलाल पिता/पति सिधान्त कुमावत निवासी आवंपट्टी
राजस्व ग्राम आवंपट्टी पटवार हल्का आवंपट्टी की जमाबन्दी में खाता सं 253

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में शमलाल पुत्र सिधान्त बनाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

शमलाल
हस्ताक्षर पटवारी
आवंपट्टी

संशोधन के लिए
सिद्धांत कुमावत (चित्तौड़गढ़)

शमलाल
हस्ताक्षर प्रार्थी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्ती जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-१७७/२०२५/
दिनांक-

१७/१०/२०२५

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शमश पिता/पत्नि मिशन सुभाष निवासी शमश पटवार हल्का शमश के राजस्व ग्राम शमश में जमावन्दी राशन २०१८-१९ की खाता संख्या २९ में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व नू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम शमश सुभाष किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम शमश का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। शमश सुभाष जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम १९५६ की धारा ४२ (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(म)

तहसीलदार बस्ती
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/२०२५/६००
निमित्त.

दिनांक-११/१०/२०२५

पटवार हल्का शमश

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट १९५६ की धारा १३६

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री शमश पिता/पत्नि मिशन सुभाष राजस्व ग्राम शमश पटवार हल्का शमश की खाता संख्या २९३ में जाति/नाम शमश सुभाष दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्ती द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शमश पिता/पत्नि मिशन सुभाष की जाति/नाम शमश सुभाष एल.आर. एक्ट १९५६ की धारा १३६ के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का शमश राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्ती पालना सुनिश्चित करे।